न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 173/2019 वाद

1. मुकेश पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी।
2. मुकुन्द पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. सुखलाल पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
2. तारा पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
3. कृष्णा पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
4. जगन्नाथ पिता कालु धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
5. कमला बाई पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
6. बाबरी बाई पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
7. सीता बाई पिता जगन्नाथ धाकड़, आयुव वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
8. उप पंजीयक निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 03.12.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके मौजा कचरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 97 की आराजी नं. 51, 179, 197/847, 198, 417, 421, 422/850 कुल किता 7 कुल रकबा 2.6200 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 96 की आराजी नं. 174, 186, 187 कुल किता 3 कुल रकबा 1. 1900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक भूमि है। पक्षकारान का सजरा इस प्रकार है-

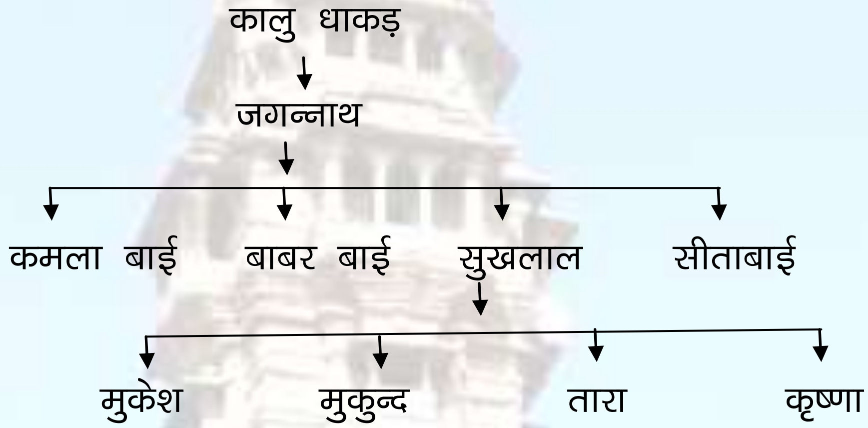

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कालु जी मूल पुरूष हुए। कालु जी के पुत्र जगन्नाथ हुआ व जगन्नाथ के एक पुत्र सुखलाल व पुत्रीयां कमला बाई, बाबर बाई व सीता बाई हुए। सुखलाल जी के दो पुत्र मुकेश व मुकुन्द तथा दो पुत्रीयां तारा व कृष्णा हैं। उक्त वर्णित जमीन कालुजी के जमाने से चली आ रही है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जन्म से ही हक अधिकार निहित हुआ तथा उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के 1/5 हक हिस्से में से 1/5 का 1/5 यानि वादी नं. 1 का 1/25, वादी नं. 2 का 1/25, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/25, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का भी 1/25, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 7 का भी 1/5 हक हिस्सा निहित हुआ। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने इसी अनुसार विवादित भूमि में अपना जाईज हक हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादी संख्या 1 का 1/25 वादी संख्या 2 का 1/25 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/25, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का भी 1/25, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 7 का भी 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने दावे के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम कचरियाखेडी की खाता संख्या 96 व 97 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। राजीनामें के साथ हक त्याग पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में हक त्याग कर दिया है।

खाता संख्या 97 की आराजी नं. 51 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि बिकाव से श्रीमती किशन कुंवर पत्नी देवेन्द्र सिंह सोलंकी राजपुत, निवासी ढोरिया के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 372 दिनांक 24.04.2018 से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि को राजीनामें में यथावत क्रेता के नाम रखी जाने का निवेदन किया गया है। शेष भूमि में से आराजी नं. 197/847 रकबा 0.4400 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 198 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 4 जगन्नाथ पिता कालु धाकड़ के नाम दर्ज रखे जाने ओर शेष समस्त आराजीयात वादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। विवादित भूमि विपक्षी संख्या 4 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जो पुश्तैनी होकर दादा, पिता व बुआ और बहन आपसी सहमति, राजीनामा व हक त्याग से वादीगण के नाम दर्ज कराना चाहते है। वादीगण का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण रजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा कचरियाखेडी की खाता संख्या 97 की आराजी नं. 179, 417, 421 व 422/850 कुल किता 4 कुल रकबा 1.2700 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 96 की आराजी नं. 174, 186 व 187 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1900 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम संयुक्त रूप से घोषित की जाती है। खाता संख्या 197 की आराजी नं. 197/847 व 198 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 जगन्नाथ पिता कालु धाकड़ के रहेगी तथा आराजी नं. 51 रकबा 0.8000 हैक्टेयर यथावत क्रेता श्रीमती किशनकुंवर पत्नी देवेन्द्र सिंह सोलंकी राजपुत, निवासी ढोरिया के रहेगी। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 03.12.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 173/2019 वाद

1. मुकेश पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी।
2. मुकुन्द पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. सुखलाल पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
2. तारा पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
3. कृष्णा पिता सुखलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
4. जगन्नाथ पिता कालु धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
5. कमला बाई पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
6. बाबरी बाई पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
7. सीता बाई पिता जगन्नाथ धाकड़, आयुव वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
8. उप पंजीयक निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0

इस वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत होने पर निर्णय दिया जाता है कि वाद वादीगण रजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा कचरियाखेडी की खाता संख्या 97 की आराजी नं. 179, 417, 421 व 422/850 कुल किता 4 कुल रकबा 1.2700 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 96 की आराजी नं. 174, 186 व 187 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1900 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम संयुक्त रूप से घोषित की जाती है। खाता संख्या 197 की आराजी नं. 197/847 व 198 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 जगन्नाथ पिता कालु धाकड़ के रहेगी तथा आराजी नं. 51 रकबा 0.8000 हैक्टेयर यथावत क्रेता श्रीमती किशनकुंवर पत्नी देवेन्द्र सिंह सोलंकी राजपुत, निवासी ढोरिया के रहेगी। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आज दिनांक 03.12.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:42:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: